

सं०सं०-9/आ०-04-14/2014 - 1360 (9)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

डा० गोबिंद प्रसाद तमाखुवाला, तत्कालीन सिविल सर्जन, शेखपुरा संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध जून 2013 में वर्ग-3 के कर्मियों के अनियमित स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं० 237(9) दिनांक 29.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

आरोप एवं अधिगम की सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा० गोबिंद प्रसाद तमाखुवाला, तत्कालीन सिविल सर्जन, शेखपुरा, पुनः क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी मुजफ्फरपुर संप्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
नागेन्द्र प्रसाद
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

- ज्ञापक: 1360 (9) /स्वा०, पटना, दिनांक: 20/12/2016
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन शेखपुरा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डा० गोबिंद प्रसाद तमाखुवाला, तत्कालीन सिविल सर्जन, शेखपुरा संप्रति पता-मोहल्ला-राजहाता, पो-जिला-कटिहार, सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,8,10,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव